न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	43/2025
दायर दिनांक	:	17.06.2025
निर्णय दिनांक	:	10.10.2025

1. विजय लक्ष्मी पत्नी जगदीश नारायण जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा
2. सरोज पत्नी अशोक कुमार जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 414/252 रकबा 0.08 है॰, खसरा नम्बर 415/252 रकबा 0.08 है॰ कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है॰ स्थित है। जिसकी प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं। इस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास अन्य लोगों की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में लेने के लिए उक्त भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी भूमि की सुरक्षार्थ लगाना चाहती हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी के तीन तरफ सघन आबादी है। जरीब से सीमाज्ञान किया जाना असंभव है। प्रश्नगत आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही भू–प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा जैरकार है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान पूर्व में कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की ओर से बाद बहस दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की गयी है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजात् से प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार दौसा के जवाब से भी प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण पेश करने से पूर्व प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान नहीं करवाया है। प्रार्थीगण द्वारा सर्वप्रथम सक्षम कार्यालय से सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण करवायी जावे। दौराने सीमाज्ञान यदि किसी पडौसी काश्तकार/खातेदार से सीमा–विवाद होना पाया जाता है, तो प्रार्थीगण द्वारा ऐसे काश्तकार/खातेदार को पक्षकार बनाते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष समान धारान्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

10/10/2025

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)